क्रम-संख्या–326

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 जुलाई, 1980

आषाढ़ 30, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1976/सत्रह–वि0–1–31-1980

लखनऊ, 21 जुलाई, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 18 जुलाई, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1980)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 59 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 59 में, उपधारा (14) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1979" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 1976(2)/XVII-V—1-31-1980
Dated Lucknow, July 21, 1980

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojana Aur Vikas (Sanshodhan), Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya X of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 18, 1980.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 1980

(U. P. ACT No. 10 OF 1980)

(As passed by Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1979.

Amendment of section 59 of President's Act no. XI of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.

2. In section 59 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (14), *for* the word and figures "December 31, 1979" the word and figures "December 31, 1981" shall be *substituted*.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Second Amendment) Ordinance, 1980 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 76 सा० विधा०—21-7-80—(1279)—1980—650 (मैक०)